

तत्काल/तिथिबद्ध
सेवा में,


1. संयुक्त निदेशक एवं प्रधानाचार्य, राजकीय आईटीओ, रोहतक।
 2. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (हरियाणा राज्य में)।
 3. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला), राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) (हरियाणा राज्य में)।
 4. सभी प्रधानाचार्य, प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (हरियाणा राज्य में)।
- यादि क्रमांक: T-4/PMS/SC/2015-16/
दिनांक:

Subject :- OBC Category के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा की नीति की प्रति भेजते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि OBC Category के छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति का लाभ देने हेतु उक्त विभाग द्वारा 1.7.2011 से संशोधित नीति की पालना करते हुए OBC Category के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र अपलोड करने बारे तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। अन्यथा मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही/अनियमितता के लिए संस्थान का मुख्या स्वयं जिम्मेवार होगा।


संलग्न:-उपरोक्त।


संयुक्त निदेशक (तकनीकी)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृ० क्रमांक T-4/PMS/SC/2015-16/ 9951

दिनांक: 14/11/2

- उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-
1. निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा।
 2. संयुक्त निदेशक (योजना)।
 3. सभी जिला स्तर के प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी (हरियाणा राज्य में)। निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेशों अनुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
 4. उप-निदेशक (प्रशिक्षण-IV)। कृपया प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उक्त पत्र अनुसार अपने स्तर पर कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
 5. सैन्ट्रल डीओओ/नोडल अधिकारी, पीएमएस एवं उप निदेशक (लेखा) मुख्यालय पर।
 6. नोडल अधिकारी बैवसाईट। विभागीय वबैसाईट पर डालने हेतु।


संयुक्त निदेशक (तकनीकी)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।